मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ (क्रमांक २० सन् १९८१) की धारा ५ में,—

(एक) उपधारा (१) में, दो बार आए शब्द ''साठ वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''बासठ वर्ष'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए तथा उपधारा (३) तथा उपधारा (४) को क्रमशः उपधारा (२) तथा उपधारा (३) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु ६० वर्ष से बढ़ाकर ६२ वर्ष करने का विनिश्चिय किया गया है, जिससे कि यह राज्य के शासकीय सेवकों के समान हो सके. अतएव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ (क्रमांक २० सन् १९८१) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जून, २०१८.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा विधान सभा सचिवालय के सेवायुक्तों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि की जा रही है, जिसके फलस्वरूप बढ़ी हुई अधिवार्षिकी आयु तक वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के मद में व्यय भार होगा, परन्तु सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने पर भर्ती/पदोन्नति की स्थिति में भी नियुक्त/पदोन्नत को वेतन, भत्ते आदि देय होते.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१
(क्रमांक २० सन् १९८१) से उद्धरण.

* * * *

धारा ५. (१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु सेवा में का प्रत्येक सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

(२) सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

(३) अध्यक्ष, यदि वह विधान सभा सचिवालय के दक्षतापूर्ण कार्य करण के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, सेवा में के किसी सदस्य के सेवाकाल में अधिवार्षिकी आयु के परे, कुल मिलाकर दो वर्ष से अनधिक कालावधि की वृद्धि कर सकेगा.

(४) प्रमुख सचिव या सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्ति को, उसकी २० वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने या उसकी ५०वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात् जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा:

परन्तु सेवानिवृत्ति को, सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान अंतिम आहरित (लास्टड्रान) वेतन की दर से करके, तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा.

* * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.